



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 25 मई, 2026
ज्येष्ठ 4, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायतीराज अनुभाग-3

संख्या 1342/33-3-2026
लखनऊ, 25 मई, 2026

अधिसूचना
शुद्धि-पत्र

प0आ0-285

पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1308/33-3-2026 दिनांक 20 मई, 2026 द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनके द्वारा अपना-अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छह माह की अवधि के लिए नियुक्त किया गया:-

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम
1	माननीय न्यायमूर्ति, श्री राम औतार सिंह (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)	अध्यक्ष
2	श्री बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त), अपर जिला न्यायाधीश	सदस्य
3	श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त), अपर जिला न्यायाधीश	सदस्य
4	डा० अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त), आई०ए०एस०	सदस्य
5	श्री एस०पी० सिंह (सेवानिवृत्त), आई०ए०एस०	सदस्य

2-पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2026 के अनुक्रम में उपर्युक्त सारणी के क्रम-संख्या 2 के समक्ष सदस्य श्री बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त) का पदनाम "अपर जिला न्यायाधीश" के स्थान पर "जनपद न्यायाधीश" पढ़ा जायेगा।

3- अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2026 के शेष अंश अपरिवर्तित रहेंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

No. 1342/XXXIII-3 -2026

Dated Lucknow, May 25, 2026

By notification no. 1308/XXXIII-3-2026 dated May 20, 2026 issued by Panchayati Raj Section 3, the following persons were appointed as the Chairman /Members of the "Uttar Pradesh State Rural Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission" for a period of six months from the date of assumption of charge of their respective offices by them:-

Sl. no.	Name	Designation
1	Hon'ble Mr. Justice Ram Autar Singh (Retired Judge of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad)	Chairman
2	Sri Brijesh Kumar (Retired), Additional District Judge	Member
3	Sri Santosh Kumar Vishwakarma (Retired), Additional District Judge	Member
4	Dr. Arvind Kumar Chaurasiya (Retired), I.A.S.	Member
5	Sri S.P. Singh (Retired), I.A.S.	Member

2. In continuation of the aforesaid notification dated May 20, 2026, against Sl. no. 2 of the above table, the designation of Member Shri Brijesh Kumar (Retired) shall be *read* as "District Judge" in place of "Additional District Judge".

3. The remaining contents of the notification dated May 20, 2026 shall remain unchanged.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.